



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय पणजी/ Regional Office Panaji

पंचदीप भवन, ई. डी.सी. प्लॉट संख्या 23, पाट्टो, पणजी, गोवा-403001

Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001

टेलीफोन: 0832-2438853/70 | ई-मेल/E-mail : [rd-goa@esic.gov.in](mailto:rd-goa@esic.gov.in)

वेबसाइट/Website : [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in)

सं. : 32-A-22/11/1/2025-स्थापना

दिनांक: 23.04.2026

### वर्ष 2026 का कार्यालय आदेश संख्या 56

आंतरिक ऑडिट आयोजित करने के निर्देशों के अनुपालन में, क्षेत्रीय निदेशक (गोवा) ने क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई का आंतरिक ऑडिट करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित किया है।

यह ऑडिट अप्रैल-जून 2025, जुलाई-सितंबर 2025, अक्टूबर-दिसंबर 2025 और जनवरी-मार्च 2026 की तिमाहियों को कवर करेगा। नामित टीमों और उनके संबंधित कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

#### ऑडिट टीम नंबर 1

- ऑडिट की अवधि: 04.05.2026 से 15.05.2026
- टीम की संरचना:
  1. श्री प्रसाद साल्वी, SSO
  2. श्री अजीत तिवारी, सहायक
  3. श्री सुदर्शन लोखंडे, सहायक
  4. श्री आनंद कुमार, सहायक
  5. श्री नाल्लामेखला तांडव कृष्ण, सहायक
- ऑडिट की जाने वाली शाखाएँ: वित्त एवं लेखा शाखा (I, II, III, IV), नकद शाखा, सामान्य शाखा, वसूली शाखा (Recovery), SMO सेल, PMD शाखा एवं आवक/जावक (Inward/Outward) शाखा।

#### ऑडिट टीम नंबर 2

- ऑडिट की अवधि: 18.05.2026 से 29.05.2026
- टीम की संरचना:
  1. श्री भरत मांजरेकर, SSO
  2. श्री पीयूष कुमार, सहायक
  3. श्री रौशन कुमार, सहायक
  4. श्री गोविंद कुमार शर्मा, सहायक
  5. श्री गोकुलदास गवास, सहायक
- ऑडिट की जाने वाली शाखाएँ: बीमा शाखा-7, विधि शाखा, हितलाभ शाखा, प्रशासन शाखा, कैंटीन, निरीक्षण/ व्याप्ति शाखा।

नामित अधिकारियों को मौजूदा नियमों के तहत उनकी पात्रता के अनुसार यात्रा भत्ता (TA) और दैनिक भत्ता (DA) स्वीकार्य होगा।

यह आदेश क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

शाखा अधिकारी (प्रशासन)

#### प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय निदेशक, क्षे.का. मुंबई (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)।
2. ऑडिट टीमों के सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
3. वित्त एवं लेखा शाखा, क्षे.का. गोवा / क्षे.का. मुंबई।

4. क्षेत्रीय निदेशक (गोवा) के निजी सहायक।
5. गार्ड फाइल।
6. कार्यालय आदेश रजिस्टर।